न्यायालय, अंचल अधिकारी, चतरा

वाद का प्रकारः– विविधवाद

वाद सं0:– 01/2023–24

खुदैजा खातुन, पति–मो0 रेयाज, सा0–नगवां, चतरा।

....प्रथम पक्ष

बनाम

मैना गोप, पिता–गोपाल गोप, साकिन–नगवां देवी मंडप, चतरा।

.....................................द्वितीय पक्ष

प्रश्नगत् भूमि का विवरण

मौजा–नगवां, थाना सं0–182, खाता सं0–101, प्लॉट सं0–311, रकबा–06 डि0 एवं खाता सं0–147, प्लॉट सं0–314, रकबा–06 डि0 कुल रकबा–12 डि0।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख– सहित
06.09.23	प्रस्तुत वाद का संधारण आवेदिका श्रीमती खुदैजा खातुन, पति–मो0 रेयाज, साकिन मौज़ा–नगवां के आवेदन पत्र पर किया गया है। उक्त आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसमे उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने हेतु मूल राजस्व कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष की ओर से मो0 सगीर आलम, पिता–मो0 रेयाज एवं द्वितीय पक्ष की ओर से शोभी यादव, पिता– मैना गोप के द्वारा उक्त वाद में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। उभय पक्ष न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने कथन के समर्थन में कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया। उभय पक्ष का तर्क भी सुना गया। प्रथम पक्ष का कथन है कि मौजा–नगवां, थाना सं0–182 अंतर्गत खाता सं0–101, प्लॉट सं0–311, रकबा–06 डि0 एवं खाता सं0–147, प्लॉट सं0–314, रकबा–06 डि0 कुल रकबा–12 डि0 भूमि क्रेता खुदैजा खातुन, पिता–मोहम्मद रियाज ने निबंधित केवाला सं0–5890, दिनांक–29.10.2009	

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा विक्रेता (1) मसोमात हसीना खातुन जौजे मंजरूल हक मरहुम (2) जेयाउल हक (3) फेदाउल हक (4) लेकाउल हक (5) रेजाउल हक सभी के पिता–मंजरूल हक मरहुम, साकिन–नगवां से क्रय किया है, जिसका दाखिल–खारिज वाद सं0–1124/2009–10 के अनुसार जमाबंदी कायम होकर पंजी–2 के पृष्ठ सं0–47/7 पर दर्ज है। आगे उल्लेख किया गया है कि दिनांक–15.09.2022 को उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी–2 निकाला गया तो उक्त वर्णित जमाबंदी पृष्ठ पर मेरे नाम के स्थान पर मैना गोप, पिता–गोपाल गोप के नाम से खाता सं0–13 एवं अन्य, प्लॉट सं0–01 एवं अन्य, कुल रकबा–2.42 ए0 दर्ज पाया। प्रथम पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त पंजी–2 में सुधार किया जाय। आवेदक द्वारा ऑनलाई व ऑफलाईन पंजी–2 पृष्ठ सं0–47/7 एवं केवला व रसीद समर्पित किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

द्वितीय पक्ष की ओर से दिनांक–06.09.2023 को न्यायालय में लिखित रूप में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि मौजा–नगवां, थाना सं0–182 अंतर्गत खाता सं0–101, प्लॉट सं0–311, रकबा–06 डि0 एवं खाता सं0–147, प्लॉट सं0–314, रकबा–06 डि0 कुल रकबा–12 डि0 भूमि आवेदक का है, जिसका जमाबंदी पृष्ठ सं0–47/.7 सही है एवं उक्त पृष्ठ पर मेरे पिता मैना गोप का नाम कैसे चढ़ा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अंत में जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ सं0–47/7 से मेरे पिता–मैना गोप, पिता–गोपाल गोप का नाम हटा कर आवेदक का नाम दर्ज किया जाए मुझे और ना मेरे वंशज में किसी को होगा। अतः उक्त वाद से मुक्त किया जाय।

उभय पक्ष के कथन, राजस्व कागजात के अवलोकन एवं राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसर यह स्पष्ट होता है कि:–

1. प्रश्नगत भूमि मौजा–नगवां, थाना सं0–182, खाता सं0–101 एवं खाता सं0–147 बकास्त खाता की भूमि है।
2. आवेदक/प्रथम पक्ष को उक्त भूमि मौजा–नगवां, थाना सं0–182, खाता सं0–101, प्लॉट सं0–311, रकबा–06 डि0 एवं खाता

Scanned with OKEN Scanner

सं0–147, प्लॉट सं0–314, रकबा–06 डि0, कुल रकबा–12 डि0 निबंधित केवाला सं0–5890 दिनांक–29.10.2009 से हासिल है, जिसका दाखिल–खारिज वाद सं0–1124/2009–10 के अनुसार जमाबंदी कायम होकर पंजी–2 के पृष्ठ सं0–47/7 पर दर्ज है।

3. विपक्षी/द्वितीय पक्ष के अनुसार आवेदक खुदैजा खातुन, पति–मो0 रेयाज के नाम से प्रश्नगत भूमि का पंजी–2 के पृष्ठ सं0–47/7 पर कायम जमाबंदी सही है, जिसे सुधार किया जाए।

अतः उक्त के आलोक में मौजा–नगवां, थाना सं0–182, के पंजी–2 के पृष्ठ सं0–47/7 पर आवेदक खुदैजा खातुन, पति–मो0 रेयाज खाता सं0–101, प्लॉट सं0–311, रकबा–06 डि0 एवं खाता सं0–147, प्लॉट सं0–314, रकबा–06 डि0, कुल रकबा–12 डि0 भूमि की प्रविष्टि करने से सं संबंधित आदेश राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को निर्गत करें।

882
13.09.23

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

06/09/23

अंचल अधिकारी,
चतरा।

06/09/23

अंचल अधिकारी,
चतरा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.20 20:41:11 -07:00
Location: 192.168.1.41

Scanned with OKEN Scanner